भाकृअनुप.केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान
क्षेत्रीय केंद्र–मोदीपुरम, मेरठ (उ.प्र.)
ICAR-Central Potato Research Institute
Regional Station-Modipuram-250110, Meerut (UP)

पत्राक 4–2/आलू/2024/ दिनॉंक 29 फरवरी, 2024

सेवा में

निदेशक,
भाकृअनुप–केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान,
शिमला–171001, हि0प्र0।

विषय : केन्द्र पर होने वाले संभावित सरप्लस प्रजनक बीज के निस्तारण हेतु अखबारों एवं संस्थान की बेबसाईट के माध्यम से सूचना परिचालित करने की बाबत।

महोदय,

सादर पूर्वक अवगत कराना है कि इस केन्द्र से सरकारी/गैर सरकारी ऐजेन्सियॉं को बीज की आपूर्ति किये जाने के पश्चात, प्रजनक बीज आलू के बचने की संभावना है, जिसका निस्तारण प्रथम आओं, प्रथम पायों एवं उपलब्धता के आधार पर किसानों को किया जाना है। जिसकी सूचना समाचार पत्रों एवं बेबसाईट के माध्यम से किसानों में परिचालित की जानी है।

महोदय जी से सादर पूर्वक अनुरोध है कि किसानों की जानकारी के लिए संस्थान की बेबसाईट पर निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड कराने हेतु संबंधित अनुभाग/सैल को निर्देश जारी करने का कष्ट करें ताकि अधिक से अधिक किसानों तक बीज आवंटन की सूचना व्यापक रूप से परिचालित की जा सकें। निदेशक महोदय के अनुमोदनानुसार इस बाबत विभिन्न अखबारों में सूचना प्रकाशित कराने हेतु केन्द्र द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

1. किसानों के लिए आवेदन पत्र (प्रारूप)
2. बीज निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश

सधन्यवाद।

भवदीय,

(आर.के. सिंह)
अध्यक्ष

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

Telephones: 0121-2575250, 0121-2575497 (O) **Fax**: 0121-2576584; 6394489736 **(Head)**
Email: modipuram.cpri@icar.gov.in; cpric.modipuram@gmail.com **Website**: **http://cpri.icar.gov.in**

Sl No..........

बीज आवंटन हेतु आवेदन पत्र

प्रारूप

सेवा में

अध्यक्ष
भाकृअनुप–केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र
मोदीपुरम,मेरठ–250110, उत्तर प्रदेश

विषयः बीज आलू के आंवटन की बाबत।

महोदय,

निवेदन यह है कि प्रार्थी आलू की खेती करता है। प्रार्थी को नया बीज बनाने के लिये प्रजनक बीज की आवश्यकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप निम्न प्रजाति का प्रजनक बीज देने की कृपा करें।

प्रजाति का नामः ....

मात्रा कुन्तल में ....

धन्यवाद।

नियम व शर्तेः

निम्नलिखित नियम व शर्ते व अन्य जारी निर्देश मुझो पूर्ण रूप से स्वीकार है।

1. इस केन्द्र पर उपलब्ध विभिन्न प्रजातियों का प्रजनक बीज आलू की आपूर्ति सहायक आयुक्त, सीड, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा आवंटित सरकारी/गैर सरकारी ऐजेन्सियाँ को करने के बाद, शेष बचे हुए बीज का निस्तारण प्रथम आओ प्रथम पाओं एवं उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।
2. केन्द्र से बीज की आपूर्ति संतुष्टिपूर्वक लेने के उपरांत **handling, transportation & storage** आदि की जिम्मेदारी खरीददार की होगी। किसी भी कारण से बीज में कोई खराबी या सड़न–गलन की समस्या उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में खरीददार ही उस उत्पन्न स्थिति का पूर्ण जिम्मेदार होगा। इसमें केन्द्र की कोई जबाबदेही नहीं होगी। इस बाबत कोई पत्राचार या जबाब देने के लिए केन्द्र बाध्य नहीं होगा।
3. यदि कोल्ड स्टोर में या कोल्ड स्टोर से निकालने के बाद भण्डारित आलू में कोई क्षति होती है तो उसके लिए संस्थान किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।
4. बीज आवंटन/आपूर्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में संस्थान के निदेशक द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा, जिसे सभी किसानों को मानना होगा।

प्रार्थी के हस्ताक्षर...............................
प्रार्थी का नाम.....................................
पिता का नाम.....................................
पूर्ण पता...
....
मोबाइल/फोन न0.............................
आधार न0/अन्य वैध पहचान पत्र न0...............................

भाकृअनुप.केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान
क्षेत्रीय केंद्र–मोदीपुरम, मेरठ (उ.प्र.)
ICAR-Central Potato Research Institute
Regional Station-Modipuram-250110, Meerut (UP)

किसानों के लिए प्रजनक बीज के आवंटन से संबंधित निर्देश

1 इस केन्द्र पर उपलब्ध विभिन्न प्रजातियों का प्रजनक बीज आलू की आपूर्ति सहायक आयुक्त, सीड, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा आवंटित सरकारी/गैर सरकारी ऐजेन्सियॉं को करने के बाद, शेष बचे हुए बीज का आवंटन प्रथम आओ प्रथम पाओं एवं उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

2 किसानों को बीज की मात्रा का वितरण केन्द्र पर विभिन्न प्रजातियों की उपलब्ध बीज की मात्रा एवं प्राप्त आवेदनों की गणना के आधार पर किया जायेगा।

3 बीज आवंटन हेतु आवेदन दिनॉंक 05 मार्च से 20 मार्च, 2024 तक इस केन्द्र पर किसी भी माध्यम **(by hand/ post/email)** से निम्न पते एवं ई.मेल में पहुंच जाना चाहिये। आवेदन केन्द्र द्वारा तैयार किया गया आवेदन प्रारूप में भरकर भेजना होगा।

अध्यक्ष, भाकृअनुप–केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, मोदीपुरम–250110, मेरठ उ0प्र0
ई.मेल : **cpric.modipuram@gmail.com**

4 आवेदन पत्र स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से भरा होना चाहिये। आवंटन के समय आवेदन पत्र में अंकित किये गये आधार न0 या अन्य वैध पहचान पत्र को अपने साथ में लाना होगा।

5 मंत्रालय/परिषद एवं संस्थान द्वारा इस बाबत दिशा–निर्देश/आदेश प्राप्त होने की दशा में बिन्दु न0 03 में अंकित समय सीमा व शर्त लागू नहीं होगी।

6 केन्द्र से बीज की आपूर्ति संतुष्टिपूर्वक लेने के उपरांत **handling, transportation & storage** आदि की जिम्मेदारी बीज खरीददार की होगी। किसी भी कारण से बीज में कोई खराबी या सड़न–गलन की समस्या उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में खरीददार ही उस उत्पन्न स्थिति का पूर्ण जिम्मेदार होगा। इसमें केन्द्र की कोई जबाबदेही नहीं होगी।

7 बीज का भुगतान नगद धनराशि के रूप में जमा नहीं किया जायेगा।

Telephones: 0121-2575250, 0121-2575497 (O) **Fax**: 0121-2576584; 6394489736 **(Head)**
Email: modipuram.cpri@icar.gov.in; cpric.modipuram@gmail.com, **Website**: **http://cpri.icar.gov.in**

भाकृअनुप.केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान
क्षेत्रीय केंद्र–मोदीपुरम, मेरठ (उ.प्र.)
ICAR-Central Potato Research Institute
Regional Station-Modipuram-250110, Meerut (UP)

8 केन्द्र द्वारा बीज का आवंटन होने के बाद आवंटित बीज की मात्रा की धनराशि का भुगतान केवल ऑनलाइन रू0 3800/–प्रति कुन्तल के हिसाब से केन्द्र के निम्नलिखित खाते में जमा कराना होगा।

1. In favour of	:	CPRIC., Modipuram
2. Current Account No.	:	10172900089
3. IFSC/RTGS	:	SBIN0003067
4. MICR Code	:	250002010

9 सरकारी/गैर सरकारी ऐजेन्सियोँ को आपूर्ति करने के बाद ही किसानों से प्राप्त आवेदनों पर विचार करते हुए आवंटन की प्रकिया आरम्भ की जायेगी।

10.प्राप्त आवेदनों पर बीज आवंटन की प्रक्रिया आरम्भ होने की तिथि जानने के लिए कार्यालय समय पर निम्न फोन न0/मोबाइल न0 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

0121–2575497, 0121–2575250, 7983861756, 6394489736

11.आलू की निम्नलिखित किस्मों के बीज सीमित मात्रा में उपलब्ध है–

प्रजनक बीज : कुफरी गंगा, कुफरी मोहन, कुफरी पुखराज

12.बीज आलू की आपूर्ति के दौरान कोविड के नियमों का पालन करना होगा।

13.बीज आवंटन/आपूर्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में संस्थान के निदेशक द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा, जिसे सभी किसानों को मानना होगा।

केन्द्राध्यक्ष

Telephones: 0121-2575250, 0121-2575497 (O) **Fax**: 0121-2576584; 6394489736 **(Head)**
Email: modipuram.cpri@icar.gov.in; cpric.modipuram@gmail.com, **Website**: **http://cpri.icar.gov.in**